THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) and (b) Doordarshan has not registered any new proposal for serial under the sponsorship scheme after May 7, 1986. Only those cases which were under consideration prior to this date are being processed and accepted. However, Doordarshan has been commissioning outside producers to produce programme in which case the funds are provided by Doordarshan unlike under the sponsorship scheme where the advertiser/sponsor bears the cost of production;

(c) Does not arise.

Technical Assistance in the Field of Food Processing Industries

469. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:

SHRI BHAGATRAM MANHAR:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have signed a number of agreements with foreign countries to seek technical assistance in the field of food processing industries;

(b) if so, what are the details of agreements signed so far and their terms and conditions; and

(c) what is the amount of foreign exchange to be incurred in seeking such an assistance?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) to (c) While possibilities of collaboration in various fields including food processing are generally explored during the meetings of the visiting delegations from different countries. So far no agreement with any foreign country to seek technical assistance in the field of food processing industries has been finalised or signed by the Ministry of Food Processing Industries.

15-सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन

470. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या कल्याण मंत्री 18 नवम्बर, 1988 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सं० 972 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जिनके द्वारा बनाई गई चयन समितियों में अल्प संख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया है और चयन समिति में शामिल किए गये अल्प समुदायों के व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं और शेष राज्यों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जो त्रैमासिक बैठकें आयोजित करते हैं और उन बैठकों की तारीखें क्या-क्या हैं और यदि कोई बैठक नहीं आयोजित की गयी, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में भविष्य में सरकार का समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० रामेन्द्र कुमारी चौधरी) : (क) असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, कर्णाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य समूह "ग" और "घ" पदों की भर्ती के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों को अपनी चयन समितियों में प्रतिनिधित्व देने के लिए सहमत हो गए हैं । कुछ अन्य राज्य सिद्धान्त रूप से सहमत हो गए हैं । विभिन्न समितियों में शामिल किए गए अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना न तो उचित है और न ही सम्भव है क्योंकि प्रत्येक राज्य में विभिन्न ग्रेडों/विषयों के लिए अनेक समितियां होती हैं और प्रत्येक चयन समिति की संरचना उन पदों के स्तर और स्वरूप पर निर्भर करती है जिन के लिए चयन किया जाता है ।

(ख) और (ग) प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए अधिकांश राज्य, राज्य स्तर पर बैठकों का आयोजन कर रहे हैं ।

30 सितम्बर, 1988 को हुए राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में 15 सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता को दोहराया गया था ।

फसल बीमा योजना में हुई प्रगति

471. **श्री लीजा ईशादिबेग** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसल बीमा योजना के तहत राज्यों और केन्द्र सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान के संबंध में अद्यतन स्थिति का ब्यौरा क्या है तथा किसानों को उनकी देय राशियों का भुगतान कब तक कर दिये जाने की संभावना है ; और

(ख) इस संबंध में गुजरात सरकार की क्या मांगें हैं, उनकी मांगों को किस हद तक और कब मान लिया गया और बाकी बची मांगों को न माने जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कार्यान्वयन करने वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिभूति दावों की अदायगी से सम्बन्धित नवीनतम स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है (**नीचे देखिये**) । जो दावे अभी अदा किए जाने हैं उनमें खरीफ 1987 मौसम के लिए गुजरात का (214.31 करोड़ रुपए) दावा, रबी, 1986-87 मौसम के लिए महाराष्ट्र का (327.56 लाख रुपए) दावा, और रबी 1987-88 मौसम के लिए पश्चिम बंगाल का (8.50 लाख रुपए) दावा, शामिल है । महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के उपर्युक्त दावों के शीघ्र निपटान के लिए कार्यवाही कर ली गई है । शेष दावों का भुगतान राज्य सरकारों के एक तिहाई शेयर की प्राप्ति के बाद भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा किया जाएगा ।

(ख) बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत गुजरात के सभी दावों, खरीफ 1987 मौसम के लिए किए गए दावों को छोड़कर, का भुगतान कर दिया गया है । सरकार ने भी गुजरात के खरीफ, 1987 मौसम के 214.31 करोड़ रुपए के दावे की अदायगी करने की स्वीकृति दे दी है, लेकिन शर्त यह होगी कि दावों के साथ उपयुक्त ऋण एवं बीमाकृत फसलों की खेती सम्बन्धी प्रमाण-पत्र लगे हों । इन दावों का भुगतान करने के लिए भारतीय साधारण बीमा निगम को केन्द्र सरकार के शेयर के रूप में 70 करोड़ रुपये की राशि भी निर्मुक्त कर दी गई है । गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वे खरीफ, 1987 मौसम से संबंधित दावों की अदायगी के लिए उपर्युक्त प्रमाण-पत्र पर बल न दें । इस पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि इन दावों की अदायगी में सरकार की वित्त संबंधी भारी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, एहतियाती उपायों के रूप में प्रमाण-पत्र निर्धारित किए गए हैं, ताकि किसी भी गलत दावे की अदायगी करने से बचा जा सके ।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	वर्ष	कुल दावे	अदा किए गए दावे	दावे जो अभी अदा किए जाने हैं
1.	1985-86	8702.54	8698.36	4.18
2.	1986-87	17484.92	16181.55	1303.37
3.	1987-88	28947.97	2250.76	26697.21
	कुल :	55,135.43	27,130.67	28004.76